# हापुड़ पुलिस

## प्रेस नोट

**थाना - पिलखुवा** **दिनांक 16.08.2024**

**श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में चिन्हित अभियोगों (पॉक्सो व जघन्य अपराध) में आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए *04 हत्यारोपियों को आजीवन कारावास व 70-70 हजार रुपये (कुल 2.80 लाख रुपये) के अर्थदण्ड* से दण्डित कराया गया।**

**घटना का संक्षिप्त विवरणः-**

वर्ष 2012 में थाना पिलखुवा क्षेत्रान्तर्गत मौ0 अशोकनगर में अभियुक्तगण द्वारा कपड़ा फैक्ट्री में काम कर रहे व्यक्ति के साथ मारपीट कर गम्भीर चोट पहुंचाकर कपड़ा रिक्शा में रखकर ले जाना एवं उपचार के दौरान घायल व्यक्ति (धीरुलाल) की मृत्यु हो जाना। जिसमें थाना पिलखुवा पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था व करीब 154 दिनों में आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल कर लगातार प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 16.08.2024 को ***सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित*** कराया गया।

**कार्यवाहीः-**

थाना पिलखुवा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 103/2012 धारा 394, 302, 34, 411 भादवि बनाम 04 अभियुक्तगण मामले में मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय हापुड़ का निर्णय।

**सिद्धदोष अपराधियों का नाम व पताः-**

1. करीम खां पुत्र चाहत अली निवासी मौ0 छिद्दापुरी थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।
2. देवा पुत्र रिछपाल सिंह निवासी मौ0 छिद्दापुरी कस्बा व थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।
3. मनोज पुत्र कैलाश निवासी मौ0 छिद्दापुरी कस्बा व थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।
4. अमीरुद्दीन पुत्र खैराती सैफी ग्राम अमीरपुर नगौला थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद।